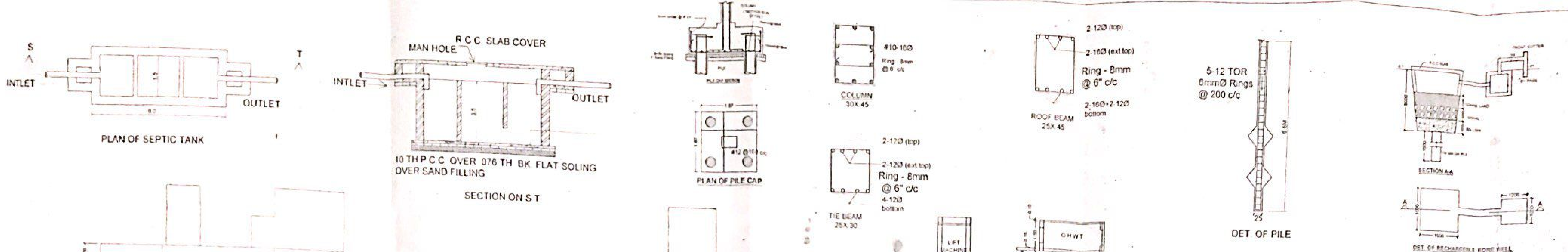

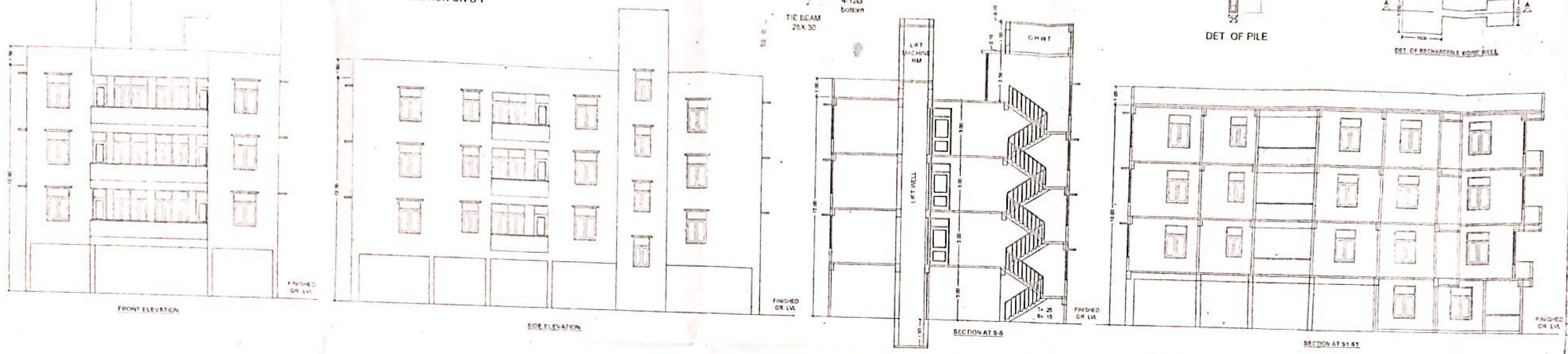

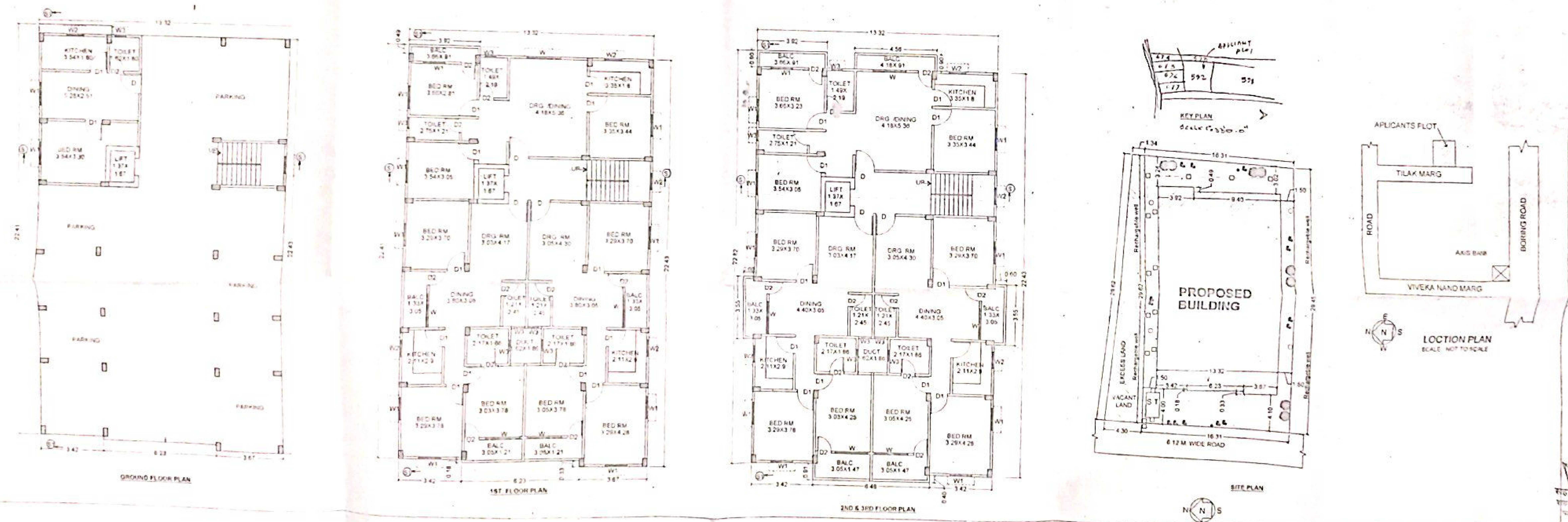

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL NO	TYPE	SIZE	SILL LVL	LINTEL LVL	DESCRIPTION
1	D	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S.S.P. DOOR
2	D1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S.S.P. DOOR
3	D2	[illegible]	[illegible]	2.15	S.S.P. DOOR
4	W	[illegible]	[illegible]	2.15	S.S.P. DOOR
5	W1	[illegible]	[illegible]	2.15	S.S.P. DOOR
6	W2	[illegible]	[illegible]	2.15	FULLY GLASS
7	W3	[illegible]	[illegible]	2.15	FULLY GLASS

SPECIFICATIONS

FOUNDATION — R.C.C. PILE FOUNDATION AS PER DESIGNER
SUPER STRUCT — 1ST CLASS BK WORK IN 1:6 C.M. UPTO CEILING
R.C.C. WORK — SLAB LINTEL BEAM STAIRCASE WITH PROPER REINFORCEMENT
ROOFING — 50TH LIME TERRACING OVER 125TH R.C.C. ROOF SLAB
FLOORING — I.P.S. FLOORING OVER 75TH DRY RAMMED KHOA OVER 076TH BK FLAT SOLING OVER SAND FILLING
WOOD WORK — SAL WOOD PROVIDED DOORS & WINDOWS CHOUKHAT AND TEAK WOOD SHUTTER
PLASTER — 012 TH C.M. PLASTER BOTH SIDE OF THE WALLS
FINISHING — TWO COAT WHITE WASH IN BOTH SIDE OF THE WALLS

DESIGN OF SEPTIC TANK

TOTAL NOS. OF FLATS = [illegible] NOS
TOTAL NOS. OF PERSONS (5 PERSONS EACH FLAT) = [illegible] NOS
EACH PERSONS REQUIRED CAPACITY = [illegible]
REQUIRED CAPACITY = [illegible]
ACTUAL CAPACITY OF S.T. IS MORE THAN 3 TIMES OF REQUIRED CAPACITY
= 5.1X3 = 15.30 SQ. M
PROVIDED SIZE OF SEPTIC TANK = [illegible] = [illegible] CU. M

DESIGN OF OVER HEAD WATER TANK

TOTAL NOS. OF PERSONS = [illegible] NOS
EACH PERSONS REQUIRED OF WATER = 135 L.P.H.
REQUIRED CAPACITY = [illegible] LTS
ADD 5% LEAKAGE OF WATER = [illegible] LTS
SIZE OF OF O.H.W.T. = [illegible] = 11.81 CU. M
11.81X1011 = [illegible] LTS

GREEN AREA CALCULATION

REQUIRED GREEN AREA = 5% OF TOTAL PLOT AREA
TOTAL PLOT AREA = [illegible] SQM
5% OF PLOT AREA = 24.16 SQM WE PROVIDED = [illegible] SQM

AREA CALCULATION

PLOT AREA — 481.71 SQ. M. (AS / MEASUREMENT)
PLOT AREA — 505.43 SQ. M. (AS / DEED)

B. U. AREA OF GROUND FLOOR PLAN	53.[illegible] SQ.M + (Parking [illegible])
B. U. AREA OF 1ST FLOOR PLAN	2[illegible]3.71 SQ. M.
B. U. AREA OF 2ND FLOOR PLAN	301.64 SQ.M. [illegible]
B. U. AREA OF 3RD FLOOR PLAN	301.64 SQ.M. [illegible]
TOTAL	[illegible] SQ. M.
F.A.R	1.57
COVERAGE -	[illegible].70 %

PARKING AREA CALCULATION

TOTAL FLATS AREA = [illegible]
REQUIRED CAR PARKING AREA = 25% OF [illegible] = [illegible] SQM
WE PROVIDED ON GROUND FLOOR - 241.91 SQ.M COV

RAIN WATER HARVESTING CHAMBER

TOTAL TERRACE AREA - 274.43 Sqm
REQUIRED VOLUME FOR R.W.H. CHAMBER
Per 100 Sq mt = 6cum [illegible]
Say 274.43 Sqm [illegible] = 16.46 cum
PROVIDED CHAMBER [illegible]

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF [illegible] KUMAR SINGH S/O LATE [illegible], PLOT SITUATED AT MOUZA - RAJA PUR, KHESRA NO. - 592, KHATA NO. [illegible], THANA NO. [illegible] HALKA NO. - 01, THANA - [illegible], [illegible], PATNA.

SCALE - 1:100 & 1:200

N S

[signature]

SIG. OF OWNER

[signature] [illegible]

SIG. OF ENGINEER

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
[illegible]
P/Raja-Pur/PRN/C+3/251/15
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal [illegible], Patna on 31-1-17
SANCTION OF PLAN ACCORDED

[signature]
सहायक निदेशक
शहरी योजना शाखा
पटना नगर निगम

[signature]
[illegible] सिंह
उप-निदेशक
शहरी योजना
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौयलोक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- 1273 /प०न०नि०

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री सुनील कुमार सिंह,
कुसुम कुंज, तिलक मार्ग,
नार्थ एस.के. पुरी, पटना।
मोबाईल नं0-9431665002

पटना, दिनांक- 07/02 /2017 ई0।

विषय:- **प्लान केस सं०-P/Rajapur/PRN/G+3/261/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Rajapur/PRN/G+3/261/2016 दिनांक-30.07.2016 के संदर्भ में श्री सुनील कुमार सिंह, कुसुम कुंज, नार्थ एस.के.पुरी, पटना के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... प्लॉट सं0-592, मौजा-राजापुर, खाता सं0-168, थाना सं0-03, हलका संख्या-01, थाना-श्रीकृष्णा पुरी, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 241.01 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 06.12 मीटर से 06.15 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन, श्री जितेन्द्र लाल कर्ण द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्त्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णत: उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वत: रद्द समझा जायेगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

''बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना''